कार्यालय तहसीलदार कठूमर जिला अलवर (राजस्थान)

प्रो.सं. RA/80/2018 धारा 91 LR Act 1956 निर्णय दिनांक - 30/4/18

अनुज्ञान पटवारी हल्का बनाम V/S. अशोक S/O पीतराम खटीक कठूमर

निर्णय

संक्षेप मे वृतान्त निम्नानुसार है कि पटवारी हल्का कठूमर ने इस न्यायालय को इस आशय की रिपोर्ट की है कि सम्वत 2074 आ०ख० नं. 1364 कुल रकबा 1.49 किस्म गैरमु० रास्ता मे से 0.10 रकबे पर श्री अशोक S/O पीतराम कौम खटीक निवासी कठूमर ने नाजायज अतिक्रमण कर गेहूँ की फसल बोदी है। प्रकरण 91 LR Act 1956 के अर्न्तगत दर्ज रजिस्टर कर अपराधीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अपराधी बाद तामील मय वकील उपस्थित हुआ तथा जवाब एवं रिकार्ड पेश करने हेतु समय चाहा है। जो अपराधी को नियमानुसार दिया गया। अपराधी पूर्व मे भी इस रकबे पर अतिक्रमण कर चुका है। तथा पूर्व मे भी अपराधी को बेदखल कर सिविल कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। अपराधी बार-2 अतिक्रमण करने का आदि है। तथा अपराधी ने सम्वत 2074 मे उक्त आराजी मे गेहूँ की फसल बोकर अतिक्रमण कर गेहूँ बोया था न्यायालय के निर्देशानुसार उक्त खड़ी फसल की मौके पर नीलामी की गई। जो फसल 130/- एक सौ तीस रुपये मे नीलाम कर जमा कोष की गई

अतः अपराधी अशोक S/O पीतराम खटीक को आ०ख० नं. 1364 कुल रकबा 1.48 किस्म गैरमु० रास्ता मे से 1200 वर्गफुट रकबे से तुरन्त प्रभाव से बेदखल किया जाता है। तथा शास्ति राशि 10 Packet का 50 गुणा 5/- Five Rs. आरोपित की जाती है। पटवारी / LR को अतिक्रमी को आ०मु० से बेदखल करने हेतु अहकाम जारी हो। TRA तह० दफ्तर से मांग कायमी कराई जावे। पत्रावली फैसल कुमार होकर व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सुनाया

30/4/18

TDR-Kathumar

[illegible] 1 [illegible] 2

[illegible] 2018-19 [illegible] 5/- + 130/-

[illegible]